ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार	01-04-2022 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री चूड़ामणि	01-04-2022 से 31-05-2023 तक
2	श्री दीपक कुमार	31-05-2023 से 31-03-2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कुम्मी के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	2.45
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	13.73
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.25
5	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.25
6	8(ख)	स्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.03
7	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.56
8	9(ख)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	04.26

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा

दिनांक 16-04-2024 से 23-04-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**08/22**	**05/22**
2023-24	**04/23**	**05/22**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-232 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत कुम्मी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्रोत व 5वां वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत कुम्मी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्रोत व 5वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1195878.47	474202	1670080.5	496305	1173775.47
2023-24	1173775.47	606222	1779997.5	1048478	731519.47

(ii) अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत कुम्मी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1258838.68	1103898.5	2362737.18	1760089.18	602648
2023-24	602648	342689	945337	291208.13	654128.87

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1385648.34**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	**Account No.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2024 (₹)**
H.P State Co-operative Bank, Nerchowk	31910107052	Own source & other grants	759926.47
PNB Kummi	7312000100009573	Planning head	373682.78
PNB Kummi	7312000100009591	14th FC	0
PNB Kummi	7312000100009616	RGSCA	6891.03
		Total	**1140500.23**

Bank Reconcilation as on 31-03-2024	
Balance as per cash book	**1385648.34**
Balance as per Pass book	**1140500.28**
Net Difference	**245148.06**

(iii)15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत कुम्मी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1822115.47	1358734	3180849.47	2071991	1108858.47
2023-24	1108858.47	166397	1275255.47	556913	718342.47

Bank Reconcilation as on 31 03-23		
Balance as per cash book	718342.47	
add:- interst of ₹12053 taken in pass book on dated 30.06.2023, but not taken in cash book, interst of ₹11108 taken in pass book on dated 30.09.2023, but not taken in cash book, interst of ₹10987 taken in pass book on dated 31-12-2023, but not taken in cash book, Interest of ₹10081 taken in pass book on dated 31.03.2024 but not taken in cash book	44229	**762571.47**
Balance as per Pass book		**762571.47**
Net Difference		**nil**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति(₹)	ब्याज (₹)	योग(₹)	व्यय(₹)	अन्तिम शेष(₹)
2022-23	0	1504953.5	0	1504953.5	1504953.5	0
2023-24	0	2943746	0	2943746	2943746	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹2.45 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹2,45,148.06** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5 **(क) पंचायत के स्वः स्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत कुम्मी के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹13.73 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत कुम्मी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक

-3/-

अनुदान ₹ 13,72,471.34 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत कुम्मी द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गई है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.25 लाख की वसूली न करना** :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कुम्मी के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹25040** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों

892

की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार पंजीकरण शुल्क, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारीयों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹5800 /- विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	1800
2.	2023-24	4000
	कुल जोड़	**5800**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा

राशि को सम्बन्धित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-222 दिनांक 18.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गई राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल अलमीरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गई थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पत्तियाँ जैसे हीटर पंखे बर्तन लैपटॉप प्रिंटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 04 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की

-34-

तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल संपत्तियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्ति यो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जो की गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-221 दिनांक 18.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य

रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹24218.95 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में सलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-227 दिनांक 20.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गई राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.03 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत कुम्मी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2500.56 की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना

संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-228 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹01.56 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वॉउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹156184.53 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गई थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गई सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**बिल संख्या/दिनांक**	**शीर्ष**	**आपूर्तिकर्ता**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**
1	932/30.03.2022	14वां वित्त आयोग	शर्मा हार्डवेर स्टोर,गाँव व डाकघर गगल तहसील बल्ह जिला मण्डी	PVC pipe & door	4341
2	431/23.04.2023	14वां वित्त आयोग	तुलसी राम ठेकेदार गाँव व डाकघर गागल तहसील बल्ह जिला मंडी	पाइप कब्जे व जाली	48743.53
3	49661/nil	RGSA	एम/एस रोशन लाल तेज राम धनोटू डाकघर महादेव सुंदरनगर	टीएमटी बार	103100
					156184.53

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-229 दिनांक 22.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

-38-

(ख) क्रय की गई सामग्री ₹04.26 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹426268 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था ।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मात्रा CUM	भुगतान राशि (₹)
general head					
1	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	046/05.03.2022	रेत	10.00	18000
2	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	046/05.03.2022	बजरी	11.00	19800
3	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	398/01.07.2022	रेत	6.00	10284
4	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	481/02.02.2023	रेत	2.00	3428
	RGSA				
5	एम/एस रोशन लाल तेज राम धनोटू डाकघर महादेव सुंदरनगर	49661/niil	टीएमटी बार	1433 kg	103100
	MANREGA				
6	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	020/28.08.2021	रेत	26.00	46800

7	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	021/25.08.2021	बजरी	5.20	9360
8	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	016/25.08.2021	रेत	20.00	36000
9	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	031/25.02.22	रेत	4.00	7200
10	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	031/25.02.22	बजरी	2.00	3600
11	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	032/25.02.2022	रेत	4.00	7200
12	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	032/25.02.2022	बजरी	2.00	3600
13	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	039/05.03.2022	रेत	13.00	23400
14	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	038/05.03.2022	रेत	13.00	23400
15	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	040/05.03.2022	रेत	13.00	23400
16	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	023/08.11.2021	रेत	6.22	11196

-५० -

17	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	023/08.11.2021	बजरी	1.90	3420
18	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	001/15.07.2021	रेत	6.22	11196
19	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	001/15.07.2021	बजरी	1.90	3420
20	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	024/08.11.2021	रेत	6.22	11196
21	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	024/08.11.2021	बजरी	1.90	3420
22	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	025/08.11.2021	रेत	6.22	11196
23	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	025/08.11.2021	बजरी	1.90	3420
24	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/05.03.2022	रेत	6.22	11196
25	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/05.03.2022	बजरी	1.90	3420
26	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	007/15.07.2021	रेत	6.22	11196

27	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	007/15.07.2021	बजरी	1.90	3420
				कुल योग	**426268**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-220 दिनांक 18.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है की स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वॉउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह जिला मंडी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित

—42—

वॉउचरों/ बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-225 दिनांक 19.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(घ) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वित्त रण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा

सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्विन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2021-22	276	10	266	618	91	91	3572	05	76240
2022-23	228	65	163	641	192	192	13030	81	68432

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वित्तरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत

अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे । पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वित्त रित/प्रदान नहीं किये गए थे । अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-223 दिनांक 19.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुम्मी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉवकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹01.53 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹01.53 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा । अभिलेख की जांच करने पर

पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹17.78 लाख की जगह ₹ 07.86 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹09.92 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹26.69 लाख की जगह ₹36.61 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹09.92 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
2022-23	15.04	9.36	9.02	5.68	6.01
2023-24	29.43	27.25	17.67	2.18	11.77
कुल आय	**44.47**	**36.61**	**26.69**	**7.86**	**17.78**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-224 दिनांक 19.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 09.92 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 09.92 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(च) मनरेगा निधि से सम्बन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे:-

ग्राम पंचायत कुम्मी के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वॉउचरों की जांच में पाया गया कि मनरेगा निधि से चयनित माह 05/22 व 05/23 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था ।अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

10. **(क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण

किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

48

12. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 11/7/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

11 JUL 2024

3345-3349 का0/वा

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 152/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 11.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/वा

(23)

पैरा संख्या - 5(i)
परिशिष्ठ -(क)

Financial position of own source & others of Gram Panchyat Kummi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1195878.47	474202	1670080.5	496305	1173775.47
2023-24	1173775.47	606222	1779997.5	1048478	731519.47

सचिव
ग्राम पंचायत कुम्मी
वि०ख० ...
जिला मण्डी (हि०प्र०)

- 49 -

पैरा संख्या - 4(ii)

परिशिष्ठ - (क)

Financial position of grants in aid of Gram Panchyat Kummi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1258838.68	1103898.5	2362737.18	1760089.18	602648
2023-24	602648	342689	945337	291208.13	654128.87

सचिव
ग्राम पंचायत कुम्मी
वि०ख० ... जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या- 4 (iii)
परिशिष्ट - (ग)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat Kummi					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1822115.47	1358734	3180849.5	2071991	1108858.47
2023-24	1108858.47	166397	1275255.5	556913	718342.47

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	718342.47		
add:- interst of Rs 12053 taken in pass book on dated 30.06.2023, but not taken in cash book,interst of Rs 11108 taken in pass book on dated 30.09.2023, but not taken in cash book,interst of Rs 10987 taken in pass book on dated 31-12-2023, but not taken in cash book,Interest of rs 10081 taken in pass book on dated 31.03.2024 but not taken in cash book	44229		**762571.47**
Balance as per Pass book			**762571.47**
Net Difference			**nill**

सचिव
ग्राम पंचायत ...
वि.ख. ...
जिला मण्डी (हि०प्र०)

- 51 -

पैरा संख्या – 6 (क) – 52 –

परिशिष्ठ – (घ)

ग्राम पंचायत कुम्मी गृह कर रिपोर्ट

वर्ष	पंजीकृत परिवारों कि संख्या	पिछला शेष	गृह कर की दर	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशी	कुल वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशी	बकाया गृह कर की राशी
2022-23	830	15850=00	20=00	16600=00	32450=00	8120=00	24300=00
2023-24	835	24300=00	20=00	16700=00	41000=00	15960=00	25040=00

सचिव
ग्राम पंचायत कुम्मी
वि०ख० ...
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मैद संख्या - 8(क) — 53 —

परिशिष्ठ —(ड॰)

(21)

Detail of Royality ⇒

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	VKVNY,SDP,BASP व अन्य अनुदान								
1	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	046/05.03.2022	रेत	18000	10.00	1.62	16.20	80	1296.00
2	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	046/05.03.2022	बजरी	19800	11.00	1.52	16.72	80	1337.60
3	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	398/01.07.2022	रेत	10284	6.00	1.62	9.72	80	777.60
4	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	481/02.02.2023	रेत	3428	2.00	1.62	3.24	60	194.40
	15वां वित्त आयोग								
5	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	546/07.03.2023	रेत	4285	2.50	1.62	4.05	80	324.00
6	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	546/07.03.2023	बजरी	8570	5.00	1.52	7.60	80	608.00
7	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	547/07.03.2023	रेत	2571	1.50	1.62	2.43	80	194.40
8	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	547/07.03.2023	बजरी	5142	3.00	1.52	4.56	80	364.80
9	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	547/07.03.2023	पत्थर	3832	3.50	2.24	7.84	80	627.20
10	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	548/07.03.2023	रेत	4113.6	2.40	1.62	3.89	80	311.04
11	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	548/07.03.2023	बजरी	6856	4.00	1.52	6.08	80	486.40
12	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	549/07.03.2023	रेत	6856	4.00	1.62	6.48	80	518.40
13	जीतेन ठाकुर गाँव छतरु डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी	549/07.03.2023	बजरी	10284	6.00	1.52	9.12	80	729.60
	मनरेगा								
14	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	020/28.08.2021	रेत	46800	26.00	1.62	42.12	60	2527.20
15	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	021/25.08.2021	बजरी	9360	5.20	1.52	7.90	60	474.24
16	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	016/25.08.2021	रेत	36000	20.00	1.62	32.40	60	1944.00
17	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	031/25.02.22	रेत	7200	4.00	1.62	6.48	80	518.40
18	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	031/25.02.22	बजरी	3600	2.00	1.52	3.04	80	243.20
19	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	032/25.02.2022	रेत	7200	4.00	1.62	6.48	80	518.40
20	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	032/25.02.2022	बजरी	3600	2.00	1.52	3.04	80	243.20
21	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	039/05.03.2022	रेत	23400	13.00	1.62	21.06	80	1684.80
22	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	038/05.03.2022	रेत	23400	13.00	1.62	21.06	80	1684.80
23	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	040/05.03.2022	रेत	23400	13.00	1.62	21.06	80	1684.80
24	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	023/08.11.2021	रेत	11196	6.22	1.62	10.08	60	604.58
25	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	023/08.11.2021	बजरी	3420	1.90	1.52	2.89	60	173.28
26	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	001/15.07.2021	रेत	11196	6.22	1.62	10.08	60	604.58
27	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	001/15.07.2021	बजरी	3420	1.90	1.52	2.89	60	173.28
28	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	024/08.11.2021	रेत	11196	6.22	1.62	10.08	60	604.58
29	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	024/08.11.2021	बजरी	3420	1.90	1.52	2.89	60	173.28
30	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	025/08.11.2021	रेत	11196	6.22	1.62	10.08	60	604.58
31	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	025/08.11.2021	बजरी	3420	1.90	1.52	2.89	60	173.28

सचिव ग्राम पंचायत ... वि॰ख॰ ... जिला मण्डी (हि॰प्र॰)

32	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/05.03.2022	रेत	11196	6.22	1.62	10.08	80	806.11
33	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/05.03.2022	बजरी	3420	1.90	1.52	2.89	80	231.04
34	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	007/15.07.2021	रेत	11196	6.22	1.62	10.08	60	604.58
35	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	007/15.07.2021	बजरी	3420	1.90	1.52	2.89	60	173.28
									24218.95

सचिव
ग्राम पंचायत रत्ती
वि०ख० बल्ह
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या - 8 (ख) 55

29

परिशिष्ठ - (च)

Detail of TDS ⇒

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	manrega					
1	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	020/28.08.2021	रेत	46800	1.00%	468.00
2	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	021/25.08.2021	बजरी	9360	1.00%	93.60
3	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	016/25.08.2021	रेत	36000	1.00%	360.00
4	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	039/05.03.2022	रेत	23400	1.00%	234.00
5	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	038/05.03.2022	रेत	23400	1.00%	234.00
6	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	040/05.03.2022	रेत	23400	1.00%	234.00
7	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	023/08.11.2021	रेत	11196	1.00%	111.96
8	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	023/08.11.2021	बजरी	3420	1.00%	34.20
9	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	001/15.07.2021	रेत	11196	1.00%	111.96
10	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	001/15.07.2021	बजरी	3420	1.00%	34.20
11	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	024/08.11.2021	रेत	11196	1.00%	111.96
12	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	024/08.11.2021	बजरी	3420	1.00%	34.20
13	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	025/08.11.2021	रेत	11196	1.00%	111.96
14	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	025/08.11.2021	बजरी	3420	1.00%	34.20
15	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/05.03.2022	रेत	11196	1.00%	111.96
16	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/05.03.2022	बजरी	3420	1.00%	34.20
17	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	007/15.07.2021	रेत	11196	1.00%	111.96
18	श्याम प्रिंटिंग प्रैस & कन्स्ट्रकशन गाँव रक्कर डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी	007/15.07.2021	बजरी	3420	1.00%	34.20
						2500.56

सचिव
ग्राम पंचायत ...
वि०ख० ...
जिला मण्डी (हि०प्र०)

31

-58-

(30)

परिशिष्ठ-(ह)

ग्राम पंचायत कुम्मी पंचायत भवन किराया रिपोर्ट

क्र सं	वित्त वर्ष	दूकान मालिक का नाम	पिछला शेष	किराया की दर	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशि	बकाया किराया की राशि
1	2022-23	जंगी राम s/o बुधु राम	1000	@500रु प्रति माह	6000	7000	nil
	2023-24	जंगी राम s/o बुधु राम	Nil	@500रु प्रति माह	6000	6000	nil
2	2022-23	भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL)	Nil	-	12000	12000	nil
	2023-24	भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL)	Nil	-	7258	7258	nil
3	2022-23	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् निगम बोर्ड (HPSEB)	Nil	-	23668	23668	nil
	2023-24	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् निगम बोर्ड (HPSEB)	Nil	-	22080	22080	nil

22/4/2023

32